प्रपत्र–1.6

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– कागड़ा
तहसील–घनसाली, जिला–टिहरी गढवाल।

जिला टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.997 है0 आरक्षित वन भूमि 0.700 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.697 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 /संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम कांगड़ा द्वारा दिनांक 12/12/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिक्ति परियोंजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कांगड़ा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

आज दि० 12-12-2014 को ग्राम पंचायत की एक आम बैठक ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी जिसमे समस्त ग्राम वासी कागड़ा एवं ग्राम वासी चमियाला द्वारा यह निर्णय लिया गया है चमियाला, इन्दवाल गाँव कागड़ा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य जनहित मे होना अति आवश्यक है प्रस्ताव सर्वसहमति पारित किया गया।

भवदीय

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 कमला देवी दिनांक ... ग्रा० पं० भिलंगना टिहरी गढ़वाल)

नाम एवं हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
1- मोर सिंह नेगी	मोरसिंह
2- बरफ लाल	[illegible]
3- कुंवर सिंह	कुंवरसिंह
4- उम्मेद सिंह	उम्मेदसिंह
5- अमर सिंह	अमरसिंह
6- भागवत सिंह पंवार	[illegible]
7- चन्दन सिंह	चन्दनसिंह
8- अतर सिंह	अतर सिंह
9- देव सिंह	देवसिंह
10- जयपाल सिंह	जयपालसिंह
11 चन्द्रवीर सिंह	चन्द्रवीरसिंह
12 गोविन्द सिंह	गोविन्दसिंह
13- महावीर सिंह	महावीरसिंह
14- राय सिंह	रायसिंह
15- सोवन सिंह	सोवनसिंह
16- दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
17- विकाश सिंह	विकाशसिंह
18- मंगसीर सिंह	मंगसीरसिंह
19- बचन सिंह रमोला	बचनसिंह
20- प्रेम सिंह	प्रेमसिंह
21- सुन्दर सिंह	सुन्दरसिंह
22- हुकम सिंह	हुकमसिंह
23- सोहन लाल	सोहनलाल

Poonam
सदस्य
जिला पंचायत-केरंथ केमर
विकास खण्ड-भिलंगना
जिला-टिहरी गढ़वाल

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ला... ह0 कमला देवी दि0 ... ग्रा० पं० भिलंगना टिहरी गढ़वाल)

नाम -	हस्ताक्षर
24 - पदमचन्द लाल	पदमचन्द लाल
25 - चिरंजी लाल	चिरंजी लाल
26 - पवन लाल	पवन लाल
27 - सब्बल सिंह	सब्बल सिंह
28 - नागचन्द सिंह	नाग चन्द सिंह
29 - पुष्पा देवी	
30 - झाड़ी देवी	
31 - धर्मा देवी	
32 - इब्बली देवी	
33 - कमला देवी	
34 - शंकरी देवी	
35 - सीरा देवी	सीरा
36 - लक्ष्मी देवी	
37 - कमला देवी	
38 - रामदेई देवी	
39 - सुशीला देवी	
40 - भगवती देवी	
41 - लखवती देवी	
42 - ममता देवी	
43 - बीरा देवी	
44 - संगीता देवी	
45 - हंसा देवी	
46 - पुष्पा देवी	
47 - दुबकी देवी	
48 - कौडि देवी	
49 - शारदा देवी	शारदा देवी
50 - बिशी देवी	बिशी देवी
51 - वीरबाला देवी	वीरबाला देवी

1.6(i)

कार्यालय उपजिलाधिकारी, घनसाली
उपखण्ड स्तरीय समिति, घनसाली
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक–12-12-2014 को चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, घनसाली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगदीश लाल	उपजिलाधिकारी	
2	श्री विनोद कुमार सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी घनसाली उप वन प्रभाग
3	श्री सुरेश कुमार [illegible]	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	श्री विजय गुनसोला	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत प्रमुख भिंलगना	

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
भिलंगना, टि0ग0

प्रपत्र–1.6(II)

परियोजना का नाम :–	**राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव।**

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्डीय स्तरीय समिति, घनसाली।

उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.997 है0 आरक्षित वन भूमि0.700 है0 सिविल एवं सायेम वन भूमि 0.00 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.697 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील–घनसाली) की दिनांक–12-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तररीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुार है :–

1. श्री जगदीश लाल उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष।
2. श्री विनोद कुमार सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य।
3. श्री सुरेश कुमार [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव।
4. श्री विजय गुनसोला बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत प्रमुख घनसाली — सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलगना में राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु परियोजना हेतु 4.697 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0, उत्तराखण्ड प्रयोकता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

समबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी गढवाल नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से

मानीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड घनसाली परिक्षेत्र क अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.697 है0 वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

पत्रांक :– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
घनसाली, टिहरी गढवाल,

Annexure-1

Form-1
For linear projects
Government of india
Office of the district collector Tehri Garhwal

No.

Dated......12/12/14

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOFF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialet and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relation in respect of linear projects it is certified that 4.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Ty. Division P.W.D. Ghansali for Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district fails with in jurisdiction of (s) In Ghansali Tehsils.

It is further certified that

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *4.99* hectares of forest area proposed for diversion.A copy of records of all consullations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to .... annexure......................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

S.D.M
Ghansali
Tehri Garhwal

Signature

(Yugal kishor Pant)
District collector,
Tehri Garhwal

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी

D-Ashish_Negi_folder_Name _saxena_file_name_forest Report

It is further certified that –Minutes of meeting of Chamiyala Indrawan Gaon Kangra scheme regarding FRA is as following:-

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.697 Hectares of Forest area proposed for diversion.Acopy of record of all consultations and meeting of Forest Right Committee(s) ,Sub Division Level,Committee(s)	Yes of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribe and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under Section3(2) of the FRA have been completed and Nagar Palika Parishad have given consent to it	Yes of records attached as there are no habitants belonging to Shedule Tribe and other traditional Forest Dwellers.No objection certificate for construction of aforesaid is attached.
(c)	The proposals does not involve recognized rights of primitive Tribunal groups and pre agricultural committee.	Yes of records attached as there are no habitants belonging to Shedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

(श्रीमती राधा देवी)
सदस्य
जिला पंचायत-केरेथ कैमर
विकास खण्ड-भिलंगना
जिला-टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा रेंज
चमियाला

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0लो0नि0वि0,घनसाली

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes &Other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA 2006)

A meeting of the district level committee tehri garhwal district constituted under FRA2006 was held under the chairmanship of Shri YUGAL KISHORE PANT .IAS, District Collector tehri garhwal at new tehri in which the applicant claiming rights in BHILANGANA block area measuring 4.697 hectares for the construction of CHAMIYALA INDRAWANGAON KANGARA MOTOR ROAD IN TEHSIL GHANSALI of forest land under FRA2006 of the following application duky processed and recommended by the sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for the said purpose

Place –TEHRI

District Collector Cum Chairman
District-Tehri Garhwal
New Tehri

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल